HARYANA STATE CHILD PROTECTION SOCIETY WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

Bays No. 15-20, Pocket-II, Sector-4, Panchkula Phone No. 0172-2560349 **ADVERTISEMENT**

Applications are invited to fill up posts of Member, Juvenile Justice Board (JJB) in accordance to provisions under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Act, 2021 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022 as per following Qualification, Experience terms and conditions:-

Sr. No.	District	Name / No. of the post
	177 111 1	Member Juvenile Justice Board- 01 Post
1.	Faridabad	
2	Cumaram	Member Juvenile Justice Board- 01 Post
2.	Gurugram	
3.	Jhajjar	Member Juvenile Justice Board- 01 Post
	33	(Deserved for female)
4.	Sirsa	Member Juvenile Justice Board- 01
-	Company	Member Juvenile Justice Board- 02 posts
5.	Sonepat	(01Reserved for female)

Qualification of JJB Member:

Minimum seven years experience of working with children in the field of education, health, or welfare activities, or should be a practicing professional with a degree in child psychology or

psychiatry or sociology or in the field of law.

Age Criteria:

35-65 years

Tenure:

Three years.

Honorarium:

Member Juvenile Justice Board shall be paid as per sitting which shall include sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as

the State Government may prescribe.

Terms & Conditions:

1. Applicant must have a domicile of Haryana.

Applicant will maintain his/her headquarter as the presence is required even at odd hours or on short notice and the appointment will be cancelled if headquarter is not maintained.

Applicant shall have to submit a self-declaration/affidavit on the following points with application form. All conditions from (i) to (vii) of the following point must be fulfilled.

He/ she has not previous conviction record.

ii. He/ she has not been involved in any immoral act or in the Act of Child abuse or employment of child labour.

iii. He/ she is not holding such other full time occupation that does not allow him/ her to give necessary time and attention to the work.

iv. He/she will give details about his/her previous/present post tenure in any district of Juvenile Justice Board.

No enquiry is pending against him/ her in any agency/ court.

The applicant should not have any past record of violation of human rights or child rights.

The applicant should not have been removed or dismissed from service of the Central Government or a State Government or an undertaking or Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government .

4. Applicant may send / submit their application form on the prescribed format on or before 21. 12. 14 till 5.00 P.M. along-with supporting documents i.e. educational qualification and experience certificate etc. in the office of concerned District Programme Officer, Women and Child Development of respective district.

Direct application received at Headquarter of WCD, will be rejected.

Department reserves the right to reject the incomplete application form without any prior notice of the candidate.

7. Incomplete application form in any manner will be rejected.

8. Prescribed application Performa may be downloaded from the departmental website www.wcdhry.gov.in.

Note: Those applicants who have already applied in the above mentioned date 17.10.2023 advertisement need not to apply for the same.

Member Secretary
Haryana State Child Protection Society
Women and Child Development Department
Haryana, Panchkula

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग बेज संख्या 15–20, पॉकेट–11, सैक्टर–4, पंचकूला दूरभाष सं. 0172–2580349 विज्ञापन

निम्नलिखित योग्यता, नियम एवं शर्तो के अनुसार जुवेनाईल जिस्टस (बाल देखगाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2021, और जुवेनियल जिस्टस मॉडल संशोधित नियम, 2022 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सदस्य, जुवेनियल जिस्टस बोर्ड (जेजेबी) के पद भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:--

Sr. No.	District	Name / No. of the post
1.	Faridabad	Member Juvenile Justice Board- 01 Post
2.	Gurugram	Member Juvenile Justice Board- 01 Post
3.	Jhajjar	Member Juvenile Justice Board- 01 Post (Reserved for female)
4.	Sirsa	Member Juvenile Justice Board- 01
5.	Sonepat	Member Juvenile Justice Board- 02 posts (01Reserved for female)

जेजेबी सदस्य की योग्यताः

शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए या बाल मनोविज्ञान या मनःचिकित्सा या समाज–विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो ।

जेजेबी सदस्य की आयुः

35-65 वर्ष की आयु होनी चाहिए ।

अवधिः

3 वर्ष

मानदेय:

अध्यक्ष और सदस्य, बाल कल्याण समिति और सदस्य जुवेनियल जिस्ट्स बोर्ड को बैठक अनुसार भुगतान किया जाएगा जिसमें बैठक भत्ता या यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ता शामिल है, जो राज्य सरकार निर्धारित करती है।

नियम एवं शर्तेः

- 1. आवेदक हरियाणा का अधिवासी हो ।
- 2. आवेदक अपने मुख्यालय का संधारण करेगा क्योंकि विषम घंटों या अल्प सूचना पर भी उपस्थिति आवश्यक है और यदि मुख्यालय का संधारण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
- 3. आवेदक आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर एक स्वयं घोषणा / शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा । निम्नलिखित बिन्दुओं की (i) से (vii) तक सभी शर्ते पूरी करता हो ।
 - (i) उसका पूर्व दोषपूर्ण रिकॉर्ड न हो ।

- (ii) वह बाल श्रम के अधिनियम या बाल दुष्प्रयोग या बाल श्रम के रोजगार में या किसी अनैतिक कार्य में लिप्त न हो ।
- (iii) वह किसी अन्य पूर्णकालिक व्यवसाय में संलग्न न हो, जो बोर्ड के कार्य की ओर ध्यान देने तथा आवश्यक समय प्रदान करने की अनुमति न प्रदान करता/करती हो ।
- (iv) वह जुवेनाईल जिस्टिस बोर्ड एवं बाल कल्याण कमेटी के किसी राज्य में उसकी पूर्व / वर्तमान पद अविध के बारे में विवरण प्रदान करेगा / करेगी ।
- (v) किसी एजेंसी / न्यायालय में उसके विरूद्व कोई पूछताछ लम्बित न हो ।
- (vi) आवेदक का मानव अधिकार या बाल अधिकार के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- (vii) आवेदक केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो ।
- 4. इच्छुक उम्मीदवार संबंधित जिले के संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में अपेक्षित / सहायक दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि के साथ 27:12:24. को सांय 5:00 बजे तक या पूर्व निर्दिष्ट प्रपत्र पर अपने आवेदन प्रपत्र भेजे / प्रस्तुत करेंगे।
- 5. डब्ल्यूसीडी मुख्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे।
- 6. विभाग के पास उम्मीदवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अपूर्ण आवेदन फार्म को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- 7. किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे ।
- 8. निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <u>www.wcdhry.gov.in</u> से डाउनलोड कर सकते हैं ।
- नोट:- जिन आवेदकों ने उपरोक्त विज्ञापन दिनांक 17.10.2023 के तहत पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

सदस्य संचिव हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, पंचकूला